43/प्रापत्र/20

अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

महादेव बनाम ममता वगैरह

निर्णय

दिनांक 24-9-2021

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता स. 148 खसरा संख्या 246 रकबा 0.68 हैक्टर खसरा संख्या 247 रकबा 0.56 हैक्टर किता-2 योग रकबा 1.24 हैक्टर वाके ग्राम पापड़ा पटवार हल्का पापड़ा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाये अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की कृषि भूमि खसरा संख्या 245/1, 245/2, 245/3, 288/1 288/2, एवं ख. न. 248 गै. मु. रास्ते से मिलती है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी कृषि भूमि ख. स. 246, 247 का सीमांकन दिनांक 25-6-2020 को अप्रार्थीगण की उपस्थिति में करवाया था। अप्रार्थी स.1 ने सरकारी आम रास्ते के खसरा स. 248 की भूमि को जबरन ताकत के बल पर दबाकर रास्ता बन्द कर दिया गया है अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 द्वारा सीमांकन चिन्हों लगाने में व्यवधान करते है और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण करने हेतु मौके पर पत्थरगढी के आदेश [illegible]

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स 1 3, 4, 5 बावजूद तामील सम्मन हाजिर न्यायालय आने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स. 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और कथन किया कि निष्पक्ष सीमाज्ञान किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायसंगत

पश्चात ही पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायसंगत होगा। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075-2078, खसरा गिरदावरी संवत 2076, नक्शा ट्रेस व दिनांक 25-6-2020 को कराया गया सीमाज्ञान की सत्यापित प्रति पेश की गई है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सीमायें अप्रार्थी की कृषि भूमि से सीमायें मिलती है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सत्यप्रति सीमाज्ञान फर्द मौका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25-6-2020 को सीमाज्ञान कराया गया फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार पड़ोसी काश्तकार द्वारा असहमति जाहिर की गई। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 ने सीमाज्ञान निष्पक्ष कराकर पत्थरगढ़ी कराने का कथन अपने जवाब में किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को सूचित करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में स्वयं मौके मौके पर उपस्थित रहकर [illegible] करवाया जाकर सीमाज्ञान [illegible] हुए सीमाचिन्ह अंकित [illegible] पत्थरगढ़ी करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-9-2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:36:58 IST
Reason: SelfAttested